"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 295] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर 2005—अग्रहायण 2, शक 1927

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-103/20/2005.—छत्तीसगढ़ प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पाठ्यपुस्तकों के लिए निम्नलिखित स्थायी समिति का गठन करती है.

2. राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 3 के उप नियम (2) के खण्ड (एक) तथा (दो) के उपबंधों के अधीन श्री सच्चिदानंद जोशी, कुलपति, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय को समिति का अध्यक्ष तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को समिति का सदस्य घोषित करती है :—

1.	डॉ. श्याम सुंदर त्रिपाठी	परिजात निकेतन महादेवघाट रोड, रायपुर	सदस्य
2.	श्री सुरेश कुमार ठाकुर	प्रतिभा एस.टी.डी./पी.सी.ओ. पुरानी बस्ती, रायपुर.	सदस्य
3.	डॉ. मुकुंद हम्बर्डे	प्राध्यापक, शा. इंजीनियरिंग कालेज, रायपुर	सदस्य

4.	डॉ. निरूपमा शर्मा	प्राचार्य शा. मा. रा. सु. उ. मा. शा., चौबेकालोनी, रायपुर.	सदस्य
5.	डॉ. प्रफुल्ल कुमार शर्मा	व्याख्याता छत्तीसगढ़ उ. मा. वि. कोटमी सुनार जिला जांजगीर-चांपा.	सदस्य
6.	श्री राजकुमार सचदेव	प्राध्यापक, शा. महाविद्यालय, मस्तुरी, जिला बिलासपुर.	सदस्य
7.	श्री सूर्य कुमार पाण्डेय	पाचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, उ. मा. वि. सीतामढ़ी, कोरबा.	सदस्य
8.	श्री भास्करराव देशपांडे	से. नि. प्राचार्य, नगर निगम वि. तात्यापारा रायपुर.	सदस्य
9.	श्री यादराम साहू	प्राचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, रूद्री धमतरी.	सदस्य
10.	डॉ. रामेन्द्र नाथ मिश्र	प्राध्यापक, इतिहास विभाग, पंडित रविशंकर वि. वि. रायपुर.	सदस्य

3. राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (3), (4), (5), (6), (7), (8) के प्रावधान के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों को समिति का पदेन सदस्य घोषित करती है :—

1.	संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर	सदस्य सचिव
2.	संचालक, लोक शिक्षण, संचालनालय, रायपुर	सदस्य
3.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर छ. ग.	सदस्य
4.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली	सदस्य
5.	नवोदय विद्यालय का एक सदस्य	सदस्य
6.	प्रबंध संचालक, पाठ्यपुस्तक निगम, छ.ग., रायपुर	सदस्य

Raipur, the 23rd November 2005

NOTIFICATION

No. F 4-103/20/2005.—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Chhattisgarh Primary, Middle School and Secondary education (Arrangement of Text Books). rules 1974. The State Government hereby constitutes the following permanent committee for the text books.

2. The State Government hereby declares Shri Sachchidanand Joshi, Vice-Chancellor Kusha Bhau Thakre Journalism University as Chairman of the Committee and the following persons as member of committee under provisions of clause (i) and (ii) of sub rule (2) of rule 3 of Chhattisgarh Primary, Middle and Secondary education (Arrangement of Text Books) rule 1974 :—

1.	Dr. Shyamsunder Tripathi	Parijat Niketan Mahadeoghat road, Raipur.	Member
2.	Shri Suresh Kumar Thakur	Pratibha S.T.D./P.C.O. Purani Basti, Raipur.	Member
3.	Dr. Mukund Hambarde	Prof. Govt. Eng. College, Raipur	Member
4.	Dr. Nirupama Sharma	Principal, Govt. M.R. S.H.S. School, Choube Collony, Raipur.	Member
5.	Shri Prafull Kumar Sharma	Lectt. Chhattisgarh H.S.S. Kotmisunar Distt. Janjgir-Champa.	Member
6.	Shri Rajkumar Sachdeva	Prof. Govt. College Masturi, Distt. Bilaspur.	Member
7.	Shri Surya Kumar Pandey	Principal Saraswati Shishu Mandir H.S.S. Sitamadhi, Korba.	Member
8.	Shri Bhaskar Rao Deshpande	Retd. Principal, Nagar Nigam Vidyalaya, Tatyapara, Raipur.	Member
9.	Shri Yadram Sahu	Principal Shishu Mandir, Rudri, Distt. Dhamtari.	Member
10.	Dr. Ramendra Nath Mishra	Prof. Deptt. of History Pt. R.S.U., Raipur.	Member

3. The State Government hereby declare the following persons as Ex-officio member of committee under provision of sub-rule (2) (two) of part (3), (4), (5), (6), (7), (8) of the rule 3 of Chhattisgarh Primary, Middle and Secondary education (Arrangement of Text Books) Rules 1974 :—

1.	Director, S.C.E.R.T., Chhattisgarh	Member Secretary
2.	Director, Public Instruction, Chhattisgarh	Member
3.	Secretary, Board of Secondary Education	Member
4.	N.C.E.R.T., New Delhi	Member
5.	A Member of Navodaya Vidyalaya	Member
6.	Managing Director, Text Book Corporation	Member

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.